न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–801/36–3–2013–79(न्यू0वे0)/07 दिनांक: 25–07–2013 द्वारा कालीन उद्योग …े नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर …नकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से …म न होगी।

उक्त के अनुकम में कालीन उद्योग के नियोजन में(मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता …ूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर प्रश्नगत वर्ष के जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 …ाह के औसत अंक 414 पर दिनांक: 1–04–2025 से 30–09–2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति …णना करके देय होगा:–

…दृष्टान्त–रूपये 4500.00/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–413 पर दिनांक: …–04–2025 से 30–09–2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(413–181)

.... X4500= रू0–5767.95/–प्रतिमाह

181

…भिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है:–

…मॉक	शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियॉ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियॉ	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.10..2024 से दिनांक: 31.3.2025 तक कुल मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांक: 1.04.2025 से दिनांक: 30.9.2025 तक	
					दिनांक: 1.04.2025 से दिनांक: 30.9.2025 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) (4+6)	दैनिक मजदूरी दरें,(रूपये में) (1/26)
	2	3	4	5	6	7	8
	अकुशल	अकुशल	4500.00	9990	5767.95	10267.95	394.92
2	अर्द्ध–कुशल	अर्द्ध–कुशल	5000.00	11100	6408.83	11408.83	438.80
3	कुशल–क	कुशल	5400.00	11988	6921.54	12321.54	473.90
4	कुशल–ख	कुशल	5300.00	11766	6793.37	12093.37	465.12
5	कुशल–ग	कुशल	5200.00	11544	6665.19	11865.19	456.35
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	12210	7049.72	12 549.72	482.68
7	लिपिक–1	कुशल	5400.00	11988	6921.54	12321.54	473.90
8	लिपिक–2	कुशल	5100.00	11322	6537.01	11637.01	447.57

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 2198-2206 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15   दिनांक: 01/04/2025

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

Signed by
Markandeya Sahi
Date: 01-04-2025 13:30:35

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।